संख्या– 1198/35–4–2014

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जौनपुर।

नियोजन अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 10 अक्टूबर,2014

विषयः–वर्ष 2014–15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जौनपुर में शासनादेश संख्याः 1359/35–4–2013 दिनॉक 30 सितम्बर, 2013 द्वारा 100 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य की रू. 36.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 18.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। अधिशाषी अभियन्ता, तृतीय प्रकल्प खण्ड, उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्याः 605/त्व0आ0वि0यो0/2014–15 दिनांक 20 सितम्बर,2013 द्वारा उक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का शत–प्रतिशत उपयोग होना इंगित किया गया है। अतः एतद्द्वारा उक्त कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये अवशेष देय धनराशि रू 18.00 लाख (रूपये अठारह लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 सितम्बर,2013 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2– अवमुक्त की जा रही धनराशि को ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर/पीएलए में नहीं रखा जायेगा। प्रश्नगत धनराशि आवश्यक्तानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तद्नुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3– इस शासनादेश से कार्यों के लिये अनुमोदित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा तक पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। इस प्रकार अब कोई धनराशि देय न होगी। कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च,2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च,2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग–4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– अवमुक्त की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

6– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2– उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–40–आयोजनागत–लेखाशीर्ष–4215–जलपूर्ति तथ सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–01–जलपूर्ति–102–ग्रामीण जलपूर्ति–03–त्वरित आर्थिक विकास योजना–02–जलपूर्ति कार्यक्रमों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–2457/दस–2014–231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्याः 1198 (1)/ 35–4–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2–महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3–प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास/कृषि विपणन/कृषि विभाग/नगरविकास विभाग।
4–प्रमुख सचिव, वित्त।
5–निजी सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी।
6–मण्डलायुक्त, वाराणसी।
7–मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।
8–प्रबंध निदेशक,जल निगम।
9–कोषाधिकारी, जौनपुर।
10–गार्ड फाईल
11–वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
12–राज्य योजना आयोग–1
13–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जौनपुर।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।